

**छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, अटल नगर  
जिला-रायपुर (छ.ग.)**

क्र..... / एफ-7-22/31 / एस-2/2019, अटल नगर, दिनांक / 11/2019  
प्रति,

**मुख्य अभियंता,**  
हसदेव कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)


**विषय :-** बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-पेन्ड्रा के अन्तर्गत चौरसिया जलाशय के बांध एवं नहर का मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।  
**संदर्भ :-** प्रमुख अभियंता का पत्र क्रमांक-82/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/8154, रायपुर, दिनांक 01.07.2019.


—00—

राज्य शासन एतद द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-पेन्ड्रा के अन्तर्गत चौरसिया जलाशय के बांध एवं नहर का मरम्मत कार्य हेतु लागत राशि रु. 258.37 लाख (रुपये दो करोड़ अद्वावन लाख सैंतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्य पूर्ण होन पर रूपाकिंत सिंचाई में हो रही 253 हेक्टेयर कमी की प्रतिपूर्ति एवं 37 हेक्टेयर अतिरिक्त सहित कुल 523 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, लेखाशीर्ष-4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828) लघु सिंचाई योजना #97-निर्माण कार्य-003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 05.10.2019 द्वारा यह योजना सहमति प्राप्त है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

**छत्तीसगढ़ के दायरपाल के नाम से**  
**तथा आदिशानुसार**

  
( याकुब खैरस )

संयुक्त सचिव  
  
छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. ५९५५ / एफ-७-२२/३१/एस-२/२०१९, अटल नगर, दिनांक १५/११/२०१९

प्रतिलिपि :-

- १ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- २ निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- ३ विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ४ अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ५ सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
- ६ महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ७ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
- ८ कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
- ९ संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
- १० प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, अटल नगर।
- ११ उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम ४-२२ अटल नगर।
- १२ अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
- १३ अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन संभाग, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
- १४ कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही, जिला-बिलासपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- १५ आदेश फोल्डर।

१५/११/१९  
संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
राज्य संसाधन विभाग